संख्या-1/2020/सा0-690/12-6-2020-54/2000

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निदेशक, कृषि, उ0प्र0।

कृषि अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

विषय- मा0 स्व0 चौधरी चरण सिंह (भूतपूर्व मा0 प्रधानमंत्री) के जन्म दिवस दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को ''किसान सम्मान दिवस'' के रूप मे मनाये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक, उ0प्र0 के पत्रांक-प्रसार 1356/कि0सं0दि0/2020-21 दिनांक 11 दिसम्बर 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वर्ष की भांति वर्तमान वर्ष 2020-21 में भी मा0 स्व0 चौधरी चरण सिंह (भूतपूर्व मा0 प्रधान मंत्री जी) के जन्म दिवस दिनांक 23 दिसम्बर 2020 को ''किसान सम्मान दिवस'' के रूप में समुचित निष्ठा एवं गरिमा के साथ मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- ''किसान सम्मान दिवस'' मनाये जाने हेतु निम्नांकित कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाय-

1- किसान सम्मान दिवस राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किया जाये।
2- दिनांक 23.12.2020 को राज्य स्तर पर लखनऊ में उ0प्र0 सचिवालय, लोक भवन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाये। उक्त अवसर पर मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 कृषि मंत्री जी/मा0 कृषि राज्य मंत्रीगण व अन्य मा0 मंत्रीगण को आमंत्रित किया जाये, लखनऊ में आयोजित होने वाले समस्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम मण्डलायुक्त,लखनऊ की देख-रेख में सम्पन्न होंगे।
3- ''किसान सम्मान दिवस'' के उपलक्ष्य में किसान गोष्ठी एवं किसान प्रदर्शनी आयोजित की जाये और किसानों को सम्मानित किया जाये।
4- मुख्य समारोह में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जायेगा। इन सीटू कार्यक्रम के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग, फार्म मशीनरी के अन्तर्गत चयनित कृषकों को ट्रैक्टर की चाभी प्रदान किया जाना है। कृषि निदेशक, उ0प्र0 इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर उक्त श्रेणी के किसानों के संबंध में संस्तुति प्राप्त करेंगे एवं सुक्विारित प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध करायेंगें।
5- जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित ''किसान सम्मान दिवस'' के आयोजन पर कृषि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में आने वाले सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर किसान विकास गोष्ठी एवं प्रदर्शनी तथा किसान मेलों का आयोजन करेंगे। इन आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में संबंधित जनपद के मा0 मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को अपने स्तर से आमंत्रित करेंगे।
6- कृषि एवं सम्बद्ध विभाग यथा- सहकारिता विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, दुग्ध विकास विभाग, रेशम विभाग एवं गन्ना विभागों को ''किसान सम्मान दिवस'' कार्यक्रम एवं विकास गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करायी जायें।
7- प्रदेश में संचालित ''मिशन शक्ति'' के दृष्टिगत कृषि एवं एलाइड सेक्टर में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला कृषकों को भी पुरस्कृत किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निम्न सावधानियॉं अपनाई जाये -

- आयोजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क, अगौछा, सेनेटाइजर, पानी, साबुन, हैण्डवाश आदि व्यवस्था कराते हुए कार्यक्रम समयान्तर्गत पूर्ण कराये जायें।
- कृषि कार्य हेतु कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी जाए।
- आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकाल के अनुरूप निर्धारित संख्या में तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पुरस्कृत कृषकों एवं अन्य प्रगतिशील कृषकों को प्रतिभाग कराया जाये।

9- विगत वर्षो की भांति प्रदेश के सभी जिलाधिकारी अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर जनपद स्तर पर दिनांक 23.12.2020 को ''किसान सम्मान दिवस'' के आयोजन पर किसान गोष्ठी एवं कृषि प्रदर्शनी आयोजित करेंगे।

10- ''किसान सम्मान दिवस'' के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों हेतु प्रदेश शासन के नोडल अधिकारी, कृषि निदेशक, उ0प्र0 होगें।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार ''किसान सम्मान दिवस'' पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
आलोक सिन्हा
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या-1/2020/सा0-690 (1)/12-6-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3- निजी सचिव मा0 कृषि मंत्री जी को मा0 कृषि मंत्री के अवलोकनार्थ।
4- निजी सचिव मा0 कृषि राज्य मंत्री जी को मा0 कृषि राज्य मंत्री के अवलोकनार्थ।
5- मा0 आर्थिक सलाहकार मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार योजना भवन लखनऊ।
6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
8- निजी सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0शासन।
9- निजी सचिव अपर मुख्य सचिव कृषि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान कृषि विपणनकृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
10- निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
11- निदेशक सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12- निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
13- निदेशक पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
14- सहायक निदेशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारिता भवन लखनऊ।
15- निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
16- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 बीज विकास निगम लखनऊ।
17- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 भूमि सुधार निगम/प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एग्रो लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

18- निदेशक उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था लखनऊ।
19- महानिदेशक उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ।
20- कुलपति नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या।
21- कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर।
22- कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम् मेरठ।
23- कुलपति सैम हिंग्गिन बाटम् इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्सेंज नैनी प्रयागराज।
24- कुलपति बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बॉदा।
25- आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।
26- निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ।
27- आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ।
28- परियोजना समन्वयक यू0पी0 डास्प लखनऊ।
29- निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ।
30- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उ0प्र0।
31- समस्त उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी उ0प्र0।
32- कृषि/कृषि विपणन एवं कृषि शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

आज्ञा से
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।